सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट विराटनगर, **कैम्प दिनांक 29.06.2018**

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 100/2016 **दायर तारीख 25.10.2016**

1. ओमप्रकाश पुत्र छींतरमल
2. ज्ञानचन्द पुत्र महादेव

जाति मीणा निवासी झरवालों की ढाणी तन श्यामपुरा तहसील विराटनगर

—: वादीगण

बनाम

1. मूलचन्द
2. रामरतन

पुत्रान कानाराम

3. संज्या पत्नी हनुमान
4. धुणीलाल
5. प्रहलाद
6. रामकरण
7. रमेश
8. समरथलाल
9. दशरथ

पुत्रान हनुमान

(1 से 9) जाति मीणा निवासी झरवालों की ढाणी तन श्यामपुरा, तहसील विराटनगर

10. नारंगी पुत्री हनुमान पत्नी मातादीन, जाति मीणा निवासी नारायणपुर तहसील थानागाजी, जिला अवलर
11. केसर पुत्री हनुमान पत्नी हनुमानसहाय उर्फ लालचन्द जाति मीणा निवासी नारायणपुर तहसील थानागाजी, जिला अलवर
12. उमराव पुत्र रिछपाल
13. बरजी पत्नी भगवाना
14. रामचन्द्र
15. रूडमल

(14–15) पुत्र भगवाना

(12 से 15) जाति मीणा निवासी झरवालों की ढाणी तन श्यामपुरा, तहसील विराटनगर

16. भगवती पुत्री भगवाना पत्नी रामसिंह
17. कौशल्या पुत्री भगवाना पत्नी लालचन्द
18. मंगली पुत्री भगवाना पत्नी फूलचन्द

जाति मीणा निवासी रावपुरा भुरानपुरा तह॰ जमवारामगढ

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

19. टीना पुत्री मन्नी पुत्री भगवाना } जाति मीणा निवासी नांगल राजावास
20. पिन्टू पुत्री मन्नी पुत्री भगवाना } तहसील आमेर, जिला जयपुर
21. कमला पत्नी भैंरू } जाति मीणा निवासी झरवालों की ढाणी
22. हरि पुत्र भैंरू } तन श्यामपुरा, तहसील विराटनगर
23. सुशीला पुत्री भैंरू पत्नी बद्री जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा गढी खरखडी के पास नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर
24. पार्वती पुत्री भैंरू पत्नी विनोद मीणा निवासी बस्सी हरसौरा के पास तहसील बानसूर जिला अलवर
25. उप पंजीयक अधिकारी विराटनगर तहसील विराटनगर
26. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर

—— प्रतिवादीगण

27. ख्यालीराम पुत्र छींतरमल जाति मीणा निवासी झरवालों की ढाणी तन श्यामपुरा तहसील विराटनगर

—— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री रविशंकर अग्रवाल अधिवक्ता वादीगण
श्री घनश्याम गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक :— 29.06.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 1149/0.07, 11500.08, 1155/0.13, 1157/0.13, 1158/0.13, 1159/0.16, 1160/0.10, 1165/0.24, 1166/0.09, 1167/0.11, 1168/0.15, 1169/0.30, 1171/0.28, 1174/0.93, 1175/0.06, 1179/0.23, 1180/0.21, 1181/0.23, 1182/0.30, 1185/0.24, 1186/0.28, 1191/0.13, 1192/0.42, 1193/0.07, 1198/0.13, 1199/0.14, 1200/0.15, 1201/0.14 हैक्टेयर कुल किता 28 रकबा 5.63 हैक्टेयर में हिस्सा 1/4 वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 27, हिस्सा 1/4 वादी संख्या 2, हिस्सा 1/6 भाग के प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं हिस्सा 1/12 भाग का प्रतिवादी संख्या 12, हिस्सा 1/4 भाग के

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 एवं 13 लगायत 24 खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 1190/0.09 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 भाग वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 27 तथा हिस्सा 1/2 का प्रतिवादी संख्या 12 खातेदार काश्तकार है तथा ग्राम मैड के खसरा नम्बर 2759/0.10, 2760/0.10, 2761/0.21, 2765/0.11, 2766/0.11, 2767/0.51, 2795/0.49 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.63 हैक्टेयर के हिस्सा 1/4 भाग का वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 27 व हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 2 तथा शेष 1/2 भाग की खातेदारी काना पुत्र बल्लू के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपर्युक्त आराजी मुतनाजा का उभय पक्षकारान के मध्य आज तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। वादी व प्रतिवादीगण तथा उनके पूर्वजों ने हाल आराजी खसरा नम्बर 1201 में बोरिंग का निर्माण करवाया है, जिसमें वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 27 का 1/3 हिस्सा है। वादीगण तथा प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से हाल खसरा नम्बर 1186/0.28 हैक्टेयर में बोरिंग का निर्माण कर उसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से विद्युत संबंध लगा रखा है, जिसमें वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 27 का 1/2 हिस्सा है तथा हाल खसरा नम्बर 1190 में शामिल में बनाये गये बोरिंग में वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 27 का 1/2 हिस्सा है। हाल खसरा नम्बर 1155 में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी व प्रतिवादीगण ने अपने–अपने हिस्सा के अनुसार राशि खर्च कर शामिल में पुख्ता मकान का निर्माण करवाया है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 8 ने जबरन व बिना अधिकार विद्यालय का संचालन कर रखा है। प्रतिवादीगण ने वादी के खिलाफ नाजायज संगठन बना रखा है, तथा वादीगण को जबरन अपनी आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। वर्तमान स्थिति में शामिल में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 1149/0.07, 11500.08, 1155/0.13, 1157/0.13, 1158/0.13, 1159/0.16, 1160/0.10, 1165/0.24, 1166/0.09, 1167/0.11, 1168/0.15, 1169/0.30, 1171/0.28, 1174/0.93, 1175/0.06, 1179/0.23, 1180/0.21, 1181/0.23, 1182/0.30, 1185/0.24, 1186/0.28, 1191/0.13, 1192/0.42, 1193/0.07, 1198/0.13, 1199/0.14, 1200/0.15, 1201/0.14 हैक्टेयर कुल किता 28 रकबा 5.63 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1190/0.09 हैक्टेयर एवं ग्राम मैड के खसरा नम्बर 2759/0.10, 2760/0.10, 2761/0.21, 2765/0.11,

सत्यमेव जयते Web Copy - Not O

2766/0.11, 2767/0.51, 2795/0.49 हैक्टेयर का नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार सरस–नरस व बाई मीट्स बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 27 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से दखल नहीं करें।

2. वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 183, 14 संवत् 2069–2072 ग्राम श्यामपुरा, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 38 संवत् 2070–2073 ग्राम मैड आदि पेश किए।

3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश किया। पैरोकार सरकार उपस्थित।

4. प्रतिवादीगण का जवाब रहा कि खसरा नम्बर 1201 में बने बोरिंग का निर्माण करीब 14–15 वर्ष पहले हुआ था, जिसमें काना, महादेव, भूरा के नाम से विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है, जो वर्तमान में बन्द है। खसरा नम्बर 1186 व 1190 में वादीगण व प्रतिवादीगण शामिल में बोरिंग बनाये जाने का कथन गलत है। खसरा नम्बर 1186 में प्रतिवादीगण ने अपने स्वयं के खर्चे से बोरिंग बनाया है, जिससे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी का को संबंध नहीं है। खसरा नम्बर 1186 मे प्रतिवादी संख्या 1 का पुख्ता आवास बना हुआ है, जिसमें वह निवास करता है। प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि में उक्त बोरिंग से सिंचाई पूर्ति नहीं होने से प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 1155 में स्वयं के खर्चे से बोरिंग बनवाया है, जिससे भी वादीगण का कोई संबंध नहीं है। वादीगण वादपत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः वादपत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे।

5. उभय पक्षकारान की सहमति पर प्रकरण दिनांक 03.04.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया।

6. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर में पेश हुई। प्रस्तुत बंटवारा रिपोर्ट पर उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रस्तुत बंटवारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप प्राप्त हुई है, जिस पर उभय पक्ष सहमत है।

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

1149/0.07, 11500.08, 1155/0.13, 1157/0.13, 1158/0.13, 1159/0.16, 1160/0.10, 1165/0.24, 1166/0.09, 1167/0.11, 1168/0.15, 1169/0.30, 1171/0.28, 1174/0.93, 1175/0.06, 1179/0.23, 1180/0.21, 1181/0.23, 1182/0.30, 1185/0.24, 1186/0.28, 1191/0.13, 1192/0.42, 1193/0.07, 1198/0.13, 1199/0.14, 1200/0.15, 1201/0.14 हैक्टेयर कुल किता 28 रकबा 5.63 हैक्टेयर में हिस्सा 1/4 वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 27, हिस्सा 1/4 वादी संख्या 2, हिस्सा 1/6 भाग के प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं हिस्सा 1/12 भाग का प्रतिवादी संख्या 12, हिस्सा 1/4 भाग के प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 एवं 13 लगायत 24 खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 1190/0.09 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 भाग वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 27 तथा हिस्सा 1/2 का प्रतिवादी संख्या 12 खातेदार काश्तकार है तथा ग्राम मैड के खसरा नम्बर 2759/0.10, 2760/0.10, 2761/0.21, 2765/0.11, 2766/0.11, 2767/0.51, 2795/0.49 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.63 हैक्टेयर के हिस्सा 1/4 भाग का वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 27 व हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 2 तथा शेष 1/2 भाग की खातेदारी काना पुत्र बल्लू के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपर्युक्त आराजी मुतनाजा का उभय पक्षकारान के मध्य आज तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। दावा खाता एवं लगान विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित है। खाता बंटवारा करवाया जाना खातेदार का काश्तकारी अधिकार है एवं जिस पर उभय पक्ष सहमत हैं। उभय पक्षकारान के निवेदन पर दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 08.06.2018 प्राप्त किया जाकर उपस्थित पक्षकारान को मजमे आम सुना गया। उपस्थित पक्षकारान ने प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमति दी है। अतः वाद मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 08.06.2018 डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदारी भूमि का पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

Web Copy - Not Official

ग्राम मैड

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	ओमप्रकाश, ख्यालीराम पिता छींतरमल	2761/0.21, 2795/0.1975 हैक्टेयर
2	ज्ञानचन्द पुत्र महादेव	2767/0.2650, 2795/2/0.1425 हैक्टेयर
3	मूलचन्द, रामरतन पिता कानाराम हिस्सा 1/3 संज्या पत्नी हनुमान, धूणीलाल, प्रहलाद, रामकरण, रमेश, समरथलाल, दशरथ पिता हनुमान, नारंगी, केसर पुत्रियां हनुमान हिस्सा 1/6, बरजी पत्नी भगवाना, रामचन्द्र, रूडमल पिता भगवाना, भगवती, कौशल्या, मंगली पुत्रियां भगवाना हिस्सा 1/7 (टीना, पिन्टू पुत्रियां मन्नी देवी हिस्सा 1/42, उमराव पुत्र रिछपाल हिस्सा 1/6, कमला पत्नी भैंरू, हरि पुत्र भैरू, सुशीला, पार्वती पुत्रियां भैंरू हिस्सा 1/6	2759/0.10, 2760/0.10, 2765/0.11, 2766/0.11, 2767/1/0.2450, 2795/1/0.15 हैक्टेयर

ग्राम श्यामपुरा

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	ओमप्रकाश, ख्यालीराम पिता छींतरमल	1149/0.07, 1179/0.23, 1193/0.07, 1192/0.42, 1191/0.045, 1175/0.03, 1165/0.24, 1199/0.14, 1159/1/0.075, 1166/0.09, 1190/1/0.045 हैक्टेयर
2	ज्ञानचन्द पुत्र महादेव	1185/0.24, 1201/0.14, 1169/0.30, 1158/0.13, 1174/0.495, 1159/0.045, 1159/2/0.04, 1191/1/0.015 हैक्टेयर
3	मूलचन्द, रामरतन पिता कानाराम हिस्सा 1/3 उमराव पुत्र रिछपाल हिस्सा 1/6, हरिराम पुत्र भैंरूराम हिस्सा 1/6, बरजी पत्नी भगवाना, रामचन्दर, रूडमल पिता भगवाना,	1180/0.21, 1181/0.23, 1182/0.30, 1186/0.28, 1198/0.13, 1200/0.15, 1150/0.08, 1155/0.13, 1160/0.10, 1157/0.13,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

	भगवती, कौशल्या, मंगली पुत्रियां भगवाना हिस्सा 1/7, टीना, पिन्टू पुत्रियां मन्नी हिस्सा 1/42, संज्या पत्नी हनुमान, धूणीलाल, प्रहलाद, रामकरण, रमेश, समरथ, दशरथ पिता हनुमान, नारंगी, केसर पुत्रियां हनुमान हिस्सा 1/6	1171/0.28, 1168/0.15, 1167/0.11, 1174/1/0.435, 1191/2/0.07, 1175/0.03 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिकी तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 29.06.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प विराटनगर में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : विराटनगर दिनांक 29.06.2018

बइजलास :— मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. ओमप्रकाश पुत्र छींतरमल
2. ज्ञानचन्द पुत्र महादेव

} जाति मीणा निवासी झरवालों की ढाणी तन श्यामपुरा तहसील विराटनगर

—: वादीगण

बनाम

1. मूलचन्द
2. रामरतन

} पुत्रान कानाराम

3. संज्या पत्नी हनुमान
4. धुणीलाल
5. प्रहलाद
6. रामकरण
7. रमेश
8. समरथलाल
9. दशरथ

} पुत्रान हनुमान (4–9)

} (1–9) जाति मीणा निवासी झरवालों की ढाणी तन श्यामपुरा, तहसील विराटनगर

10. नारंगी पुत्री हनुमान पत्नी मातादीन, जाति मीणा निवासी नारायणपुर तहसील थानागाजी, जिला अवलर
11. केसर पुत्री हनुमान पत्नी हनुमानसहाय उर्फ लालचन्द जाति मीणा निवासी नारायणपुर तहसील थानागाजी, जिला अलवर
12. उमराव पुत्र रिछपाल
13. बरजी पत्नी भगवाना
14. रामचन्द्र
15. रूडमल

} पुत्र भगवाना (14–15)

} (12–15) जाति मीणा निवासी झरवालों की ढाणी तन श्यामपुरा, तहसील विराटनगर

16. भगवती पुत्री भगवाना पत्नी रामसिंह
17. कौशल्या पुत्री भगवाना पत्नी लालचन्द
18. मंगली पुत्री भगवाना पत्नी फूलचन्द

} जाति मीणा निवासी रावपुरा भुरानपुरा तह॰ जमवारामगढ

19. टीना पुत्री मन्नी पुत्री भगवाना
20. पिन्टू पुत्री मन्नी पुत्री भगवाना

} जाति मीणा निवासी नांगल राजावास तहसील आमेर, जिला जयपुर

21. कमला पत्नी भैंरू } जाति मीणा निवासी झरवालों की ढाणी
22. हरि पुत्र भैंरू } तन श्यामपुरा, तहसील विराटनगर
23. सुशीला पुत्री भैंरू पत्नी बद्री जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा गढी खरखडी के पास नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर
24. पार्वती पुत्री भैंरू पत्नी विनोद मीणा निवासी बस्सी हरसौरा के पास तहसील बानसूर जिला अलवर
25. उप पंजीयक अधिकारी विराटनगर तहसील विराटनगर
26. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर

—— प्रतिवादीगण

27. ख्यालीराम पुत्र छींतरमल जाति मीणा निवासी झरवालों की ढाणी तन श्यामपुरा तहसील विराटनगर

—— तरतीबी प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 100/2016 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री रविशंकर अग्रवाल एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री घनश्याम गुर्जर एडवोकेट** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 1149/0.07, 11500.08, 1155/0.13, 1157/0.13, 1158/0.13, 1159/0.16, 1160/0.10, 1165/0.24, 1166/0.09, 1167/0.11, 1168/0.15, 1169/0.30, 1171/0.28, 1174/0.93, 1175/0.06, 1179/0.23, 1180/0.21, 1181/0.23, 1182/0.30, 1185/0.24, 1186/0.28, 1191/0.13, 1192/0.42, 1193/0.07, 1198/0.13, 1199/0.14, 1200/0.15, 1201/0.14 हैक्टेयर कुल किता 28 रकबा 5.63 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1190/0.09 हैक्टेयर एवं ग्राम मैड के खसरा नम्बर 2759/0.10, 2760/0.10, 2761/0.21, 2765/0.11, 2766/0.11, 2767/0.51, 2795/0.49 हैक्टेयर का नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार सरस–नरस व बाई मीट्स बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 27 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से दखल नहीं करें।

सत्यमेव जयते Web Copy

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर में सुना गया। प्रकरण में तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जान पर उभय पक्षकार सहमत है। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदारी भूमि का पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

ग्राम मैड

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	ओमप्रकाश, ख्यालीराम पिता छींतरमल	2761 / 0.21, 2795 / 0.1975 हैक्टेयर
2	ज्ञानचन्द पुत्र महादेव	2767 / 0.2650, 2795 / 2 / 0.1425 हैक्टेयर
3	मूलचन्द, रामरतन पिता कानाराम हिस्सा 1 / 3 संज्या पत्नी हनुमान, धूणीलाल, प्रहलाद, रामकरण, रमेश, समरथलाल, दशरथ पिता हनुमान, नारंगी, केसर पुत्रियां हनुमान हिस्सा 1 / 6, बरजी पत्नी भगवाना, रामचन्द्र, रूडमल पिता भगवाना, भगवती, कौशल्या, मंगली पुत्रियां भगवाना हिस्सा 1 / 7 (टीना, पिन्टू पुत्रियां मन्नी देवी हिस्सा 1 / 42, उमराव पुत्र रिछपाल हिस्सा 1 / 6, कमला पत्नी भैंरू, हरि पुत्र भैरू, सुशीला, पार्वती पुत्रियां भैंरू हिस्सा 1 / 6	2759 / 0.10, 2760 / 0.10, 2765 / 0.11, 2766 / 0.11, 2767 / 1 / 0.2450, 2795 / 1 / 0.15 हैक्टेयर

ग्राम श्यामपुरा

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	ओमप्रकाश, ख्यालीराम पिता छींतरमल	1149 / 0.07, 1179 / 0.23, 1193 / 0.07, 1192 / 0.42, 1191 / 0.045, 1175 / 0.03, 1165 / 0.24, 1199 / 0.14, 1159 / 1 / 0.075, 1166 / 0.09, 1190 / 1 / 0.045 हैक्टेयर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2	ज्ञानचन्द पुत्र महादेव	1185/0.24, 1201/0.14, 1169/0.30, 1158/0.13, 1174/0.495, 1159/0.045, 1159/2/0.04, 1191/1/0.015 हैक्टेयर
3	मूलचन्द, रामरतन पिता कानाराम हिस्सा 1/3 उमराव पुत्र रिछपाल हिस्सा 1/6, हरिराम पुत्र भैंरूराम हिस्सा 1/6, बरजी पत्नी भगवाना, रामचन्दर, रूडमल पिता भगवाना, भगवती, कौशल्या, मंगली पुत्रियां भगवाना हिस्सा 1/7, टीना, पिन्टू पुत्रियां मन्नी हिस्सा 1/42, संज्या पत्नी हनुमान, धूणीलाल, प्रहलाद, रामकरण, रमेश, समरथ, दशरथ पिता हनुमान, नारंगी, केसर पुत्रियां हनुमान हिस्सा 1/6	1180/0.21, 1181/0.23, 1182/0.30, 1186/0.28, 1198/0.13, 1200/0.15, 1150/0.08, 1155/0.13, 1160/0.10, 1157/0.13, 1171/0.28, 1168/0.15, 1167/0.11, 1174/1/0.435, 1191/2/0.07, 1175/0.03 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 29.06.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प विराटनगर में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy

मुबलिक ....शून्य........................... बाबत ....शून्य........ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य............. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 29.06.2018** को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर